डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/डब्ल्यू.पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 84] भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 मार्च 1985--फाल्गुन 22, शके 1906

18-3-85

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 1985--फाल्गुन 22, 1906

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972) की धारा 9 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचना प्रकाशित की जाती है:--

अधिसूचना

क्र. 3456-विधान-85.--श्री रामकिशोर शुक्ल ने मध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष का पद दिनांक 13 मार्च 1985 के पूर्वाह्न से त्याग किया.

बलवन्त सहाय
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1985.